रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2015/भाद्र 24, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं 101

No. 119] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2015/BHADRA 24, 1937 [N.C.T.D. No. 101

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

शुद्धि पत्र

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

सं. फा. विविध. (10)/2010/स्थापना/डीआईपी/1552–1558.—दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की सं. फा. विविध (10)/2010/स्थापना/डीआईपी/3820–3826 के अनुसार जारी एवं दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–IV (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संख्या 138) में प्रकाशित अनुवादक उर्दू और अनुवादक पंजाबी के पद की अधिसूचना पैरा 6 के नीचे, अनुसूची की मद संख्या 4 में ग्रेड पे रूपये 2400/– के स्थान पर ग्रेड पे रूपये 2800/– के रूप में पढ़ा जाए ।

उक्त अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु पूर्ववत् रहेगी ।

आर. चौपड़ा, अपर निदेशक

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY

CORRIGENDUM

Delhi, the 15th September, 2015

No.F.Misc(10)/2010/Estt/DIP/1552-1558.—Please read Grade Pay of "Rs. 2800" in placr of Rs. 2400/- appearing below para 6 under Schedule in column No. 4 in respect of the post of Translator (Urdu) and Translator (Punjabi) issued vide No. Misc (10)/2010/Estt/DIP/3820-3826 dated November 13, 2014 and published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV(N.C.T.D. No. 138) dated November 13, 2014.

The other contents of the said Notification remain the same.

R. CHOPRA, Addl. Director

राजस्व विभाग

सचिव (राजस्व) एवं मंडलायुक्त कार्यालय

(समन्वय शाखा)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

सं. एफ.1(15)/डी.सी.ओ./2010/4263.—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अध्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए देशभर में घर–घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 1 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया जाएगा, को पुनः प्रकाशित किया जाता है।

DEPARTMENT OF REVENUE

(OFFICE OF THE SECRETARY–CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER)

(CO-ORDINATION BRANCH)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 15th September, 2015

No.F.1(15)/DCO/2010/4263.-In pursuance of sub-rule (4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from 1st day of July, 2015 onwards, is hereby republished.

एफ.1(15)/डी.सी.ओ./2010/4264.—भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अन्तर्गत जारी राजपत्र आदेश संख्या का.आ. 1694 (अ) दिनांक 25 जून, 2015 के अनुसरण में दिल्ली सरकार एतद्द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अध्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए दिल्ली राज्य में घर–घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 15 अक्तूबर, 2015 से 14 नवम्बर, 2015 के अन्तराल में किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. आंबारासु, सचिव (राजस्व) एवं मण्डलायुक्त

No.F.1(15)/DCO/2010/4264.—In pursuance of Gazette Notification No. S.O. 1694(E) dated 25th June, 2015 issued by the Registrar General Citizen Registration, India under sub-rule (4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Government of Delhi hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the state of Delhi for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken during the period from 15th October, 2015 to 14th November, 2015.

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor of

the National Capital Territory of Delhi,

A . ANBARASU, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

सं.फा.16(458)/श.वि./जल/2014/1014:—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में **मुख्य अभियन्ता (सिविल)** के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में बनाए गए विनियम आम सूचनार्थ निम्नलिखित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **मुख्य अभियन्ता (सिविल)** के पद के भर्ती विनियम, 2015 कहा जाये।

 (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि**:—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **नियमित सेवा** :—किसी ग्रेड के संदर्भ में "नियमित सेवा" का अर्थ उक्त ग्रेड पर दीर्घकालिक नियुक्ति के लिये चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन होने के उपरान्त ग्रेड पर सेवारत रहने की अवधि है या अवधियां हैं और इसमें कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसमें कोई अधिकारी उस ग्रेड के किसी ड्यूटी पद पर बना रहना होगा यदि ऐसा नहीं होता तो वह अवकाश पर या अन्यथा रहने के कारण किसी पद को धारण करने हेतु उपलब्ध नहीं है।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

7. **बचाव** :—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

8. **निरसन**:—इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दिनांक 19 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या फा. 16(127)/यूडी/डब्ल्यू/2000/5931 के अनुसार मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु अधिसूचित भर्ती विनियमों को निरस्त समझा जायेगा।

"अनुसूची"

मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद के भर्ती विनियम :—

1.	पदनाम	:	**मुख्य अभियन्ता (सिविल)**
2.	पदों की संख्या	:	07(2013)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन समूह–4 मे 37400–67000/–रुपये (ग्रेड पे 10,000/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन

6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः** (i) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) पे बैंड--3 में 15600--39100/--रुपये +ग्रेड पे 7600/--रुपये के वेतन सहित, ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसमें पे बैंड--4 के नॉन फक्शनल ग्रेड में 37,400--67,100/--रुपये, 8700/--रुपये के ग्रेड में की गई सेवा सहित और उच्च प्रबंधन में दो सप्ताह का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया हो। जिसके न होने पर पे बैंड--3 में 15,600--39,100/--रुपये, ग्रेड पे 7600/--रुपये में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) या पे बैंड--4 में 37,400--67,000/--रुपये, ग्रेड पे 8700/--रुपये सहित गैर प्रकार्यात्मक ग्रेड में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) तथा पे बैंड--3 में 15,600--39,100/--रुपये, ग्रेड पे 6600/--रुपये सहित कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के ग्रेड में 13 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा सहित जिसमें से कम से कम चार वर्षों की सेवा अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के ग्रेड में होनी चाहिए तथा उच्चतर प्रबंधन में दो सप्ताह का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **नोट 1**:-- पदोन्नति के लिये विचारणीय क्षेत्र में सम्मिलित यदि किसी अधिकारी ने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो वह पदोन्नति के विचारार्थ पात्र होगा तथा ऐसे अधिकारी को पदोन्नति के तुरन्त पश्चात् प्रशिक्षण लेना होगा। **नोट 2**:-- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी, उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । **नोट 3**:-- पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)**:-- केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:--

		(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–4 में 37,400–67,000/–रुपये+ग्रेड पे 8700/–रु. सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित। (iii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–3 में 15,600–39,100/–रुपये+ग्रेड पे 7600/–रु. सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले। (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि अथवा इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) से सिविल अभियांत्रिकी में भाग "क" तथा "ख" परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) बड़े जल संयंत्र/अवजल उपचार संयंत्रों के प्रचालन का अनुरक्षण संयंत्रों की योजना, डिजाइनिंग तथा निर्माण सहित जल निकासी अवजल कार्यों इत्यादि का पन्द्रह वर्ष का अनुभव। नोट 1 :– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नही होंगे। नोट 2 :– (प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः पाँच वर्षों से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (अल्पकालिक संविदा सहित) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी)। टीप 3:– प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	**"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति पर विचारार्थ)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य 3. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड– सदस्य

13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th September, 2015

No.F.16(458)/UD/W/2014/1014.—The following Recruitment and Promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998), vide Chief Executive Officer orders dated 11th September 2013, regarding the method of recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Chief Engineer (Civil) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely:—

1. **Short title and commencement .-** (1) These regulations may be called the Recruitment Regulation for the post of Chief Engineer (Civil), Delhi Jal Board, 2015.

   (2) They shall came into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.-** The number of posts, their classification and Pay band and grade pay/scale of pay attached there to shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc: -**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications**: - No person-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   Shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that Delhi Water Board, may, after prior consultation with Government of N.C.T. of Delhi if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Regular service**: - "Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection, according to the prescribed, for long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

6. **Power to relax**:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-** Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

8. **Repeal:-** On and from the date of commencement of these regulations the recruitment, regulations notified for the post of Chief Engineer(Civil) vide notification no.F.16(127)/UD/W/2000/5931 dated the19th April, 2002 shall stand repealed.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Pay band &grade pay/Pay scale	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chief Engineer (Civil)	7* (2013)* Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'	PB-4 Rs. 37,400-67,000 (Grade Pay Rs. 10,000/-)	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable	Not Applicable.	Not applicable	By Promotion failing which by deputation including Short- term contract.

In case of recruitment by Promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion Superintending Engineer (Civil) in PB-3, Rs.15,600-39,100 with grade pay of Rs. 7600 with 8 years regular service in the Grade, including service, if any, rendered in the non-functional grade in PB-4, Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs. 8700/- and have successfully completed two weeks course on higher management. Failing which Superintending Engineer (Civil) in PB-3, Rs. 15,600-39,100/- with grade pay of Rs. 7600/- or in the non-functional grade in PB-4, Rs. 37,400-67000/- with grade pay of Rs. 8700 with 13 years of combined regular service in the grades of Superintending Engineer (Civil) and Executive Engineer (Civil) in PB-3, Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 6600 out of which at least 4 years regular service should be in the grade of Superintending Engineer (Civil) and have successfully completed two week's course on higher management. Note 1: If any officer included in the field of consideration for promotion has not undergone the training, he/they shall continue to be eligible for consideration for promotion and such officers shall undergo the training immediately after their promotion. Note 2: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who	**Group 'A' DPC (for considering promotion):** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2.Chief Executive Officer, Delhi Jal Board -Member 3.Member (Admn), Delhi Jal Board -Member	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputations (Including short term contract)

Officers under the Central/State Governments/ UTs/ Universities/ recognized research institutions/ public sector undertakings/semi government/ statutory or autonomous organizations.

(A)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; OR

(ii) With 3 year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-4, Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs. 8700or equivalent in the parent cadre/department ; OR

(iii) With 8 years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-3, Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs.7600/- or equivalent in the parent cadre/department ; AND

(B) Possessing the following Educational qualifications and Experience :-

(i) Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute or passed section 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Civil Engineering;

(ii) 15 years of experience of operation and maintenance of large water and sewage treatment plant and of planning, designing and erecting of the plants including laying of water drainage and sewage works etc.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: [Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th

CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R.C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

सं. 22/13/2000/यू.डी./पा. फाई./4163–73.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री राज रानी मित्रा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी को 28.08.2014 से सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 347क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब सरकार दिनांक 29.08.2015 से सुश्री राज रानी मित्रा की प्रतिनियुक्ति की अवधि को आगे 6 माह के लिए बढ़ाती है।

आदेश से,

डी. एस. वर्मा, उप–सचिव (शहरी विकास)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th September, 2015

No. 22/13/2000/UD/PF/4163-73.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), **Ms. Raj Rani Mittra**, an officer of Delhi Higher Judicial Service, was appointed as Presiding Officer of Appellate Tribunal constituted under sub-section (1) of section 347A of the above said Act, by the Government on deputation basis for a period of one year with effect from 28-08-2014. Now, the Government extends the deputation period of Ms. Raj Rani Mittra for the further period of six months w.e.f. 29-08-2015.

By Order,

D.S. VERMA, Dy. Secy. (Urban Development)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054